

21/1/24

U.T. दिवस नं. 1 काबु

पत्रावली पेश हुई। वकील उग्रपक्ष अपरिष्कृत
प्रतिवादी संख्या 1 की शीट अधिवक्ता श्री
उमेश जोशी ने अपरिष्कृत श्री, वकीलपक्षनाम
जवाब पेश करने का अवसर-चाह गया
पत्रावली पेश करने जवाब व वकीलपक्ष में
दिनांक 16/2/24 को पेश है।

16/2/24

पत्रावली पेश हुई। वकील उग्रपक्ष अपरिष्कृत
जवाब देना अवसर चाहा जो दिनांक 16/2/24 को
पत्रावली वरुद्ध जवाब में दिनांक 16/2/24 को
पेश है।

10/2/24

पत्रावली पेश हुई। वकील उग्रपक्ष
अपरिष्कृत। जवाब देना अवसर चाहा
जो दिनांक 23/10/24 को पत्रावली वरुद्ध जवाब
में दिनांक 23/10/24 को पेश है।

17/10/2024

वाही एवं इनके अधिवक्ता ने अपरिष्कृत घेमा
वरुद्ध पत्रावली को विज्ञे कर उगे से वाद प्रकण
को विज्ञे की अनुमति दी जा चुकी है। इसलिए
प्राथमिक पत्र ~~का~~ कोई प्रभाव नहीं इहारा है।
इसलिए प्राथमिक पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर
ट्राप की जाती है। पत्रावली केवल घेमा घेमा
अम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

न्यायालय उपखण्ड अधि

1. श्री रामचन्द्र पुत्र हिरा जी जण
डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

2. श्री डालु (डालचन्द) पुत्र ह
तहसील डूंगला, जिला चि
श्री भूमिधारी जरीये त
चित्तौड़गढ़

महोदय जी,

प्रार्थी की ओ
1. यह कि प्रार्थी की
वाद बाबत खातेव
की सुनवाई होकर

2. यह कि प्रार्थी
कब्जे काशत
स्थित है सम्ब
(A) खाता

(B) खाता

